

**झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

**अधिसूचना**

राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

- 1) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5781/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री वैद्यनाथ उराँव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 140/20, गृह जिला- राँची), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- ii. श्री उराँव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत गोड्डा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- 2) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5782/ पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 220/20, गृह जिला- चतरा), को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- ii. श्री भट्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत रामगढ़ अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- 3) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5783/ पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री गिरिजा शंकर महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 156/20, गृह जिला- जामताड़ा), को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चाँडिल, (सरायकेला-खरसावाँ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- ii. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चाँडिल अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- 4) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5784/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रुद्र प्रताप, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 303/20, गृह जिला- पलामू), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- ii. श्री प्रताप को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत रंका अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- 5) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5785/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री हीरा कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 97/20, गृह जिला- राँची), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत छत्तरपुर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- 6) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5786/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के पद पर पदस्थापित श्री रतन कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 168/20, गृह जिला- गिरिडीह), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बंशीधर नगर (नगर उटारी), गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- ii. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बंशीधर नगर (नगर उटारी) अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।



7) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5787/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्रीमती पूर्णिमा कुमारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 198/20, गृह जिला- साहेबगंज), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चैनपुर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

8) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5788/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजीव नीरज, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 205/20, गृह जिला- खूँटी), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री नीरज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत गुमला अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

9) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5789/ पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती पारूल सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 326/20, गृह जिला- उत्तर प्रदेश), को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला, (सरायकेला-खरसावाँ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत सरायकेला अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

10) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5790/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केतार (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश मछुवा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 269/20, गृह जिला- राँची), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर (प0 सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री मछुवा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत जगन्नाथपुर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

11) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5791/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित श्रीमती जयवन्ती देवगम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 279/20, गृह जिला- प0 सिंहभूम), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती देवगम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बसिया अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

12) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5792/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री महेन्द्र छोटन उराँव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 278/20, गृह जिला- गुमला), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री उराँव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत सिमडेगा सदर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

13) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5793/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित मो0 परवेज, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 231/20, गृह जिला- गुमला), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 परवेज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत लातेहार अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

14) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5794/ कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री बिपिन कुमार दुबे, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 319/20, गृह जिला- गढ़वा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआडांड (लातेहार) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री दुबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत महुआडांड अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

15) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5795/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित श्री अनन्त कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 158/20, गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत जामताड़ा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

16) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5796/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री संदीप अनुराग टोपनो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 288/20, गृह जिला- सिमडेगा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू (राँची) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री टोपनो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बुण्डू अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

17) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5797/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री संतोष गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 314/20, गृह जिला- रामगढ़), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बगोदर-सरिया अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

18) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5798/ अवर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र उराँव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 264/20, गृह जिला- गुमला), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री उराँव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चतरा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

19) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5799/ अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनुराग कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 202/20, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर (पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री तिवारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत मेदिनीनगर सदर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

20) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5800/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री बिजय कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 228/20, गृह जिला- देवघर), की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत गढ़वा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

21) संख्या- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का. 5801/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी (गोड्डा) के पद पर पदस्थापित श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 324/20, गृह जिला- साहेबगंज), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा (गोड्डा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत महागामा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

2. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(ओम प्रकाश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का0 5802/ राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 03/पद0-01(ग)-04/2014 का0 5802/ राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, प्रशाखा-5, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।